International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 8.141
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol. 12 No.4 Mar-Apr 2025

भारतीय लोकतंत्र में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

आदित्य राज
शोधार्थी, (NET), राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविधालय दरभंगा
Corresponding Author: आदित्य राज
Email: araj4677@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.15393489

सारांश:
भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ सरकार का गठन जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जनता शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष रुप से भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। मतदान व्यवहार, मत डालने के उन कारकों या तरीकों को परिभाषित करता है जो वोट देने में मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के 61 वाँ संशोधन 1988 द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। चुनाव में मतदान व्यवहार अनेक कारकों से प्रभावित होता रहा है जिसमें जाति, धर्म, क्षेत्रवाद, राजनीतिक दल, आयु-लिंग, आर्थिक परिस्थिति प्रमुख है लोकतंत्र में निर्वाचन व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनता अपनी पसंद के अनुसार सरकार का निर्माण करती है। निर्वाचन से जनता में राजनीतिक जागरूकता आती है। जनता का यही राजनीतिक व्यवहार मतदान व्यवहार कहलाता है। लोकतांत्रिक राजनीति में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में विचारधाराओं का प्रबल प्रभाव भी देखने को मिलता है। कल्याणकारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता सामाजिक न्याय तथा गरीबी उन्मूलन जैसी विचारधारा से प्रभावित होकर भी मतदाता मतदान करते है। चुनाव के समय मतदाता अनेक कारकों से प्रभावित होकर किसी दल विशेष के पक्ष में मतदान करते है। इस प्रकार मतदान व्यवहार का तात्पर्य उन कारकों से है जो मतदाताओं को किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष अथवा विपक्ष में मतदान करने के लिए प्रभावित करते हैं।

मुख्य-शब्द: राजनीतिक दल, चुनाव, मतदान व्यवहार, भारतीय संविधान, लोकतांत्रिक राजनीति

परिचय :

लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान व्यवहार महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। मतदान व्यवहार के कारण राजनीतिक व्यवस्था लोकप्रिय रुप में पुष्पित एवं पल्लवित होती है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि मतदाता अपने मताधिकार के प्रति कितने जागरूक है। मतदान व्यवहार एक व्यक्तिगत एवं सामूहिक निर्णय है जो सम्पूर्ण राजनीतिक व्याख्या को प्रभावित करता है। भारत विविधता से परिपूर्ण देश है जहाँ विभिन्न जाति धर्म, सम्प्रदाय भाषा, संस्कृति के लोग रहते है जिनके सोच, विचार, व्यवहार एवं पसंद-नापसंद आदि में पर्याप्त विविधता है। मतदाताओं के एक बड़े भाग का अर्द्धशिक्षित या अशिक्षित होना भी जटिलता को बढ़ा देता है। जनादेश ही राजनीतिक व्यवस्था को वास्तविक पृष्ठभूमि प्रदान करता है मतदाता को अपने प्रतिनिधि चुनते समय स्थानीय हित, राष्ट्रीय हित, देश काल, सुशासन जनकल्याण को ध्यान में रखकर अपना निर्णय लेना होता है। मतदान व्यवहार को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग-अलग मत व्यक्त किये है भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवधारणा को अपनाया गया है इसके अंतर्गत 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदान करने हेतु योग्य है।

मतदान व्यवहार;

मतदाता अपने मत के माध्यम से जो भावना व्यक्त करता है इस राजनीतिक व्यवहार की ही मतदान व्यवहार कहते हैं। मतदान व्यवहार-का अध्ययन, मतदान के आकडों, चुनावी आकडों के रिकार्ड, या अवलोकन तक ही केवल सीमित नहीं है। यह मतदाताओं के भावना, अनुभव आदि के मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी शामिल करता है एवं संस्थागत ढाँचे और राजनीतिक कार्यवाही के साथ उनके संबंधों को भी शामिल करता है। मतदान व्यवहार का सामान्य अर्थ मतदाताओं की उस मनः स्थिति से होता है जिससे प्रभावित होकर कोई भी मतदाता मतदान करता है। रोनाल्ड ई स्टोक्स के अनुसार, मतदान व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को सामूहिक निर्णय में समाहित करने का एक साधन है मतदान व्यवहार से तात्पर्य मतदाता के मत देने तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के अध्ययन से है मतदाताओं के मतदान व्यवहार को विश्लेषण करना एक जटिल कार्य है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के कारकों से प्रभावित होता है। कार्ल जे फैड्रक के अनुसार मतदान

व्यवहार, प्रजातांत्रिक शासन को वैधता प्रदान करने की प्रक्रिया का एक पहलू है अर्थात मतदाता मतदान के माध्यम से सरकार को कार्य करने के लिए वैधता प्रदान करते है।

मतदान व्यवहार की अवधारणा :

भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, जो प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देता है। मतदाताओं द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को समझना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहलू है। आम चुनाव और राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि जनता का लोकतंत्र में कितना विश्वास और रुचि है तथा वे कितने जागरूक हैं। मतदान व्यवहार इस बात को दर्शाता है कि मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करते समय किन-किन कारकों से प्रभावित होते हैं और कौन से तत्व व्यक्ति को मतदान के लिए प्रेरित या हतोत्साहित करते हैं और किन कारणों से कोई मतदाता किसी विशेष उम्मीदवार या राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करता है।

मतदान व्यवहार का अध्ययन बीसवीं सदी की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है सर्वप्रथम फ्रांस में 1913 में मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन में मतदान व्यवहार का अध्ययन किया जाने लगा । भारत में मतदान व्यवहार के अध्ययनों को 1957 के आम चुनाव के पश्चात अपनाया गया है और अभी हाल के वर्षों में देश तथा विदेशों के अनेक विद्वानों द्वारा इस विषय पर प्रचुर मात्रा में अनुभाविक वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षणों पर आधारित लेख और पुस्तकें प्रकाशित हुई है।

भारत में मतदान व्यवहार अध्ययन की उत्पत्ति और विकास :

मतदान व्यवहार का अध्ययन चुनाव अध्ययनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चुनावों के अध्ययन के विषय को सेफोलॉजी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य चुनावों के दौरान मतदाताओं के व्यवहार और उनकी निर्णय-प्रक्रिया का विश्लेषण करना होता है। मतदान व्यवहार के अध्ययन के द्वारा यह पता चलता है कि कि मतदाता किसी विशेष उम्मीदवार या राजनीतिक दल को वोट क्यों देते हैं? क्या यह निर्णय आर्थिक कारकों, सशक्त नेतृत्व, करिश्माई व्यक्तित्व या अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक कारकों पर आधारित होता है? भारत में चुनावी अध्ययन का इतिहास स्वतंत्रता के बाद 1951-52 के प्रथम आम चुनावों से प्रारंभ हुआ है। 1960 के दशक में इसे एक व्यवस्थित रूप दिया गया, जिसमें प्रमुख योगदान राजनीतिक वैज्ञानिक रजनी कोठारी और मायरन वीनर का रहा। 1980 के दशक में प्रणय रॉय और अशोक लाहिरी द्वारा किए गए अध्ययन ने इसे और गति प्रदान की।

1990 के दशक से भारत में चुनावी अध्ययन अधिक संगठित रूप से किया जाने लगा। इस दिशा में योगेंद्र यादव का योगदान उल्लेखनीय रहा, जिन्होंने सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सी.एस.डी.एस.) के तहत चुनावी अध्ययनों को व्यवस्थित किया। लोकनीति नामक संगठन के माध्यम से इन अध्ययनों का संचालन किया गया, जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्वानों ने भाग लिया। चुनावी अध्ययन के प्रमुख तरीकों में सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसे राष्ट्रीय चुनाव सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य चुनाव से पूर्व और चुनाव के बाद मतदाताओं के दृष्टिकोण और उनके निर्णयों का विश्लेषण करना है। इन अध्ययनों के निष्कर्ष विभिन्न पुस्तकों, लेखों और पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाते हैं।

सी.एस.डी.एस. के अलावा, कई शोध संस्थान, मीडिया हाउस और राजनीतिक दल भी मतदान व्यवहार के अध्ययन में संलग्न रहते हैं। यह अध्ययन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ प्रदान करता है और भविष्य के राजनीतिक परिवर्तनों का अनुमान लगाने में सहायक होता है। आज के डिजिटल युग में, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी चुनावी अध्ययनों में किया जाने लगा है। सोशल मीडिया,और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से प्राप्त डेटा का विश्लेषण कर मतदाताओं की प्रवृत्तियों को समझा जाता है। इसके अलावा, चुनावी रणनीति बनाने और प्रचार अभियानों को निर्देशित करने में भी इन अध्ययनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है।

इसके अतिरिक्त, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में जाति, धर्म, क्षेत्र, शिक्षा स्तर और मीडिया की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इन सभी तत्वों के द्वारा यह समझने की कोशिश की जाती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता कैसे अपने निर्णय लेते हैं और राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों के माध्यम से जनता को कैसे प्रभावित करते हैं।

मतदान व्यवहार की विशेषताएं :

1. मतदान व्यवहार मतदाताओं के मनोवैज्ञानिक तत्वों से प्रेरित होता है।
2. मतदान व्यवहार मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला विषय है।
3. मतदान व्यवहार के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है।
4. मतदान व्यवहार राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के साथ-साथ विकास का भी साधन है।
5. मतदान व्यवहार का अध्ययन न केवल चुनाव पूर्व ही किया जाता है बल्कि इसका अध्ययन चुनावों के बाद भी महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है।
6. मतदान व्यवहार के माध्यम से 'राजनीतिक समाजीकरण' की प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलती है, जिसके माध्यम से लोगों में राजनीतिक समझ विकसित होती है।
7. मतदान व्यवहार के माध्यम से इस बात का पता चलता है कि लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति कैसी धारणा है। किस कारण से प्रभावित होकर मतदाता किसी राजनीतिक दल और व्यक्ति विशेष के पक्ष में मतदान करते हैं।

मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले विविध कारक:

मतदान व्यवहार विभिन्न कारकों से प्रभावित होता है। भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रमुखता से प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है :

1.जाति : भारतीय समाज में जाति एक महत्वपूर्ण सामाजिक तत्व है। भारत की पारंपरिक सामाजिक संरचना जाति व्यवस्था से अत्यधिक प्रभावित रही है। राजनीतिक दल टिकट के वितरण और उम्मीदवारों के चयन में जाति को एक महत्वपूर्ण आधार बनाते हैं। इस संदर्भ में, रजनी कोठारी ने कहा है कि भारत की राजनीति जातिवादी है और भारत में जातियां राजनीतिकृत है।

2.धर्म : प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव में धर्म को आधार बनाकर मतों को प्राप्त करने का प्रयास प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। चुनाव में धर्म का सहारा लेने वाले राजनीतिक दलों का राजनीतिक प्रक्रिया पर व्यापक प्रभाव होता है, इससे मतदाताओं के मतदान व्यवहार भी प्रभावित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चुनावी नतीजे भी प्रभावित होते हैं।

3. राजनीतिक दल : मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में राजनीतिक दल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में मतदाताओं का एक वर्ग अपनी दलीय पहचान रखता है। वह चुनाव में उस दल विशेष के प्रति गहरी आस्था दिखाते हुए पुरे प्रतिबद्धता के साथ मतदान करता है। राजनीतिक दलों की नीतियां, विचारधारा व कार्यक्रम मतदान व्यवहार को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं।

4. भाषा : भाषा की राजनीति राज्यों की राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती रही है। भारत एक बहुभाषी देश है 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में 771 भाषाएं एवं स्थानीय बोलिया बोली जाती थीं। उत्तर भारत, दक्षिण भारत की राजनीति में 'भाषा' मुख्य चुनावी मुद्दा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी का मुद्दा अत्यंत प्रभावी रहता हैं।

5. क्षेत्रवाद : क्षेत्रवाद क्षेत्रीय व स्थानीय हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय हितों की तुलना में क्षेत्रीय हितों को अधिक महत्व प्रदान करता है। क्षेत्रवाद वह मनोभाव है जिसमें व्यक्ति अन्य क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में अपने क्षेत्र व उसमें रहने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता देता है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर की राजनीति में क्षेत्रवाद का मुद्दा अत्यन्त प्रभावी होता है, जिसके कारण भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार प्रभावित होता है।

6. धन की भूमिका : भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में चुनावों में किया जाने वाला धन का प्रयोग द्वारा भी लोगों का मतदान व्यवहार प्रभावित होता है। विशेष रूप से, कमजोर आर्थिक स्थिति वाले मतदाताओं को चुनाव में प्रत्याशियों व राजनीतिक दलों द्वारा धन के बल पर आकर्षित करने का प्रयास व्यापक रूप से किया जाता हैं जिससे प्रभावित होकर मतदाता अपनी मतदान की प्राथमिकता में परिवर्तन कर देते है जिससे चुनावी परिणाम भी परिवर्तित हो जाता है।

7. विचारधारा : विचारधारा भी मतदान व्यवहार का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। भारत में कुछ ऐसें राजनीतिक दल है जिनकी कोई न कोई विचारधारा हैं, जिसका राजनीतिक दल प्रमुखता से प्रचार व प्रसार करते है, जिससे मतदाता भी अवश्य ही प्रभावित होते हैं। समाजवाद, उदारवाद, साम्यवाद, गाँधीवाद, लोहियावाद, हिन्दुवाद अनेक ऐसी विचारधाराएं प्रचलित है, जिससे प्रभावित होकर मतदाता मतदान करते हैं।

8. शिक्षा : शिक्षा का स्तर भी मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। सामान्यतः अशिक्षित मतदाता राजनीतिक दलों के भड़काऊ बयानों के शिकार हो जाते है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने हितों की परवाह किये बगैर उस राजनीतिक दल को मतदान कर देते हैं, वही शिक्षित मतदाता ऐसे उम्मीदवारों का निर्वाचन करना पसंद करते है, जो अपेक्षाकृत बेहतर शैक्षिक पृष्ठभूमि रखते हैं।

9. व्यक्तित्व : मतदान व्यवहार की प्रभावित करने वाले कारकों में उम्मीदवारों का अपना व्यक्तित्व भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतदाता अक्सर ऐसे उम्मीदवार को पसंद करते हैं, जिसका व्यक्तित्व करिश्माई हो और वह ईमानदार तथा प्रभावशाली जैसे गुणों में धनी हो । प्रारंभ में जवाहर लाल नेहरू , 1960-70 के दशक में इन्दिरा गाँधी, 1977 में जयप्रकाश नारायण, 1990 के दशक में पी.वी. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, और 21 वीं सदी में नरेन्द्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व के कारण मतदाताओं ने मतदान किये।

10. चुनाव प्रचार : चुनाव प्रचार किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें और राजनीतिक दल उम्मीदवार द्वारा अपने पक्ष में मतदान करवाने हेतु मतदाताओं को लुभाने का प्रयत्न किया जाता है। जितना अधिक प्रचार व प्रसार किया जाता है, उतनी ही अधिक सफलता की सम्भावना होती है।

11. व्यक्तिगत सम्पर्क : मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में व्यक्तिगत सम्पर्क का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मतदाताओं को अपने प्रत्याशी के संबंध में कितनी जानकारी है, यह तथ्य भी मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करता है। ऐसा प्रायः देखा गया है कि अनेक मतदाता ऐसे होते हैं, जो व्यक्तिगत सम्पर्क के द्वारा उम्मीदवार से प्रभावित होकर उसके पक्ष में मतदान करते हैं।

12. सरकार की स्थिरता : भारतीय लोकतंत्र में मतदान व्यवहार इस बात पर भी निर्भर करता है कि कौन सा राजनीतिक दल एक सुदृढ़ और स्थायी सरकार प्रदान कर सकता है। भारतीय मतदाता केन्द्र में एक स्थायी और सुदृढ़ सरकार चाहते है। मतदाताओं ने 1977 में जनता पार्टी की सरकार को इसी आशा से सत्ता सौंपी थी, परन्तु जनता पार्टी को मतदाताओं के विश्वास पर खरा न उतरने के कारण

1980 के लोकसभा चुनाव में उन्हीं मतदाताओं ने जनता पार्टी के स्थान पर कांग्रेस को सत्ता सौंप दिया।

13. तात्कालिक परिवेश :

तात्कालिक परिवेश भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। यह स्थानीय व राष्ट्रीय मुद्दों तथा घटनाओं के सम्बन्ध में जुड़ा हो सकता है। चुनाव के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं व मुद्दे जो जनता से सीधे तौर पर जुड़ी हों मतदान पर अवश्य ही प्रभाव डालती हैं। प्रादेशिक चुनावों में स्थानीय मुद्दे व स्थानीय घटनाओं का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है। परन्तु कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दे भी प्रादेशिक चुनावों पर प्रभाव डालते हैं। ये सभी घटनाक्रम व मुद्दे मतदाता को किसी एक राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने हेतु प्रेरित करते हैं। भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार पर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों व मुद्दों का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है

निष्कर्ष –

भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले उपर्युक्त तत्वों के वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि ये तत्व किसी विशेष क्षेत्र समुदाय अथवा वर्ग को प्रभावित नहीं करते, वरन् सभी मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। लोकतंत्र का भविष्य और आधार स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव व सकारात्मक मतदान व्यवहार पर निर्भर है। देश के राष्ट्रीय व प्रादेशिक चुनावों में मतदान व्यवहार के कुछ नकारात्मक पक्ष है। मतदान व्यवहार के इन नकारात्मक पक्षों में जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्रवाद इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है। एक स्वस्थ, समृद्ध व बेहतर लोकतंत्र की स्थापना हेतु मतदान व्यवहार के इन नकारात्मक पक्षों को हतोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए यह आवश्यक है कि मतदाता व्यापक दृष्टिकोण अपनाएँ और संकुचित भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में निर्णय लें। जागरूक और निष्पक्ष मतदान के माध्यम से ही एक मजबूत, उत्तरदायी और पारदर्शी लोकतंत्र की स्थापना संभव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. डॉ. श्रीमती कल्पना वैश्य, "भारतीय लोकतंत्र में मतदान व्यवहार", नवभारत प्रकाशन
2. डॉ. बी. एल. फाड़िया और डॉ. पुखराज जैन, "भारतीय शासन एवं राजनीति", साहित्य भवन पब्लिकेशन।
3. डॉ. अलका गोयल “भारत में मतदान व्यवहार एवं जनादेश” उप्पल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली
4. रजनी कोठारी, "भारत में राजनीति कल और आज", वाणी प्रकाशन
5. रजनी कोठारी, "कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया", ओरियंट लोंगमैन, दिल्ली, 1970 पृष्ठ-70
6. अभय कुमार दुबे (संपादक) ‘लोकतंत्र के साथ अध्याय’ वाणी प्रकाशन नई दिल्ली 2002
7. सी.बी.गेना ‘तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक संस्थाएं विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा. लि. नई दिल्ली 1986
8. संजय कुमार (2013), “भारत में मतदान व्यवहारः अध्ययन का इतिहास और उभरती चुनौतियां”, प्रतिमान,
9. पेज -321-345